

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 30/27-10-21

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : रितेश कुमार अग्रवाल vs डॉ. लक्ष्मण प्रसाद

CGRERA-P-Enclm-PRO-2021-01367

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
25-11-2021	<p>आवेदक द्वारा श्री शैलेश चंद्राकर अधिवक्ता । अनावेदक श्री हरमीत सिंह होरा अनुपस्थित । अनावेदक हरमीत सिंह होरा को जारी नोटिस तामिल/अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं। अभिलेख पर संलग्न ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार उक्त नोटिस की तामिलि अनावेदक हरमीत सिंह होरा पर की जा चुकी है। पुकार के समय अनावेदक व उसके अधि. अनु. हैं। प्रकरण थोड़ी देर पश्चात रखा जावे।</p> <p style="text-align: center;">(दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>पश्चात् 1:50 PM</p> <p>आवेदक द्वारा श्री शैलेश चंद्राकर अधिवक्ता । अनावेदक श्री हरमीत सिंह होरा अनुपस्थित ।</p> <p>पुनः अनावेदक को पुकार लगाई गई। पुकार के समय अनावेदक व उसके अधि. अनुपस्थिति हैं। अनुपस्थिति का कारण ज्ञात नहीं और ना ही इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त। अतः अनावेदक व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।</p> <p>इसी स्तर पर आवेदक रितेश कुमार अग्रवाल के अधि. श्री शैलेश चंद्राकर ने आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक को माननीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की संपूर्ण राशि अनावेदक से प्राप्त कर ली गई है इस कारण वे निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे।</p> <p>आवेदक प्रस्तुत निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहता है। परिणमतः निष्पादन आवेदन खारिज किया जाता हैं। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाए।</p> <p style="text-align: center;">(दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण</p>	<p>Not Press in this case</p> <p>(A.O.) 25/11/2021</p>